संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

खण्ड–चार, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492002
फोनः 0771 – 2412844, 2412849, फैक्सः 0771 – 2412841 Email: dgm.cg@nic.in

क्रमांक 2362 / स्था. 1 / न.क्र. 70 / 2010, रायपुर, दिनांक : 4 MAR 2016

प्रति,

संचालक,
संचालनालय जनसंपर्क विभाग,
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषयः निःशक्तजनों के बैकलॉग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विशेष भरती अभियान हेतु विज्ञापन बाबत्।

— *** —

संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर के अंतर्गत संलग्न विज्ञापन प्रारुप के अनुसार **सर्वेयर (जिला कार्यालय)** पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन का प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। कृपया अनुरोध है कि उपरोक्त पदों का विज्ञापन प्रदेशों के बहुप्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़

पृ0क्र0 2363-76 / स्था. 1 / न.क्र. 70 / 2010, रायपुर, दिनांक 4 MAR 2016

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण संचालनालय रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. संचालक, आदिम जाति हरिजन कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ ।
4. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी रायपुर / अंबिकापुर / जगदलपुर छत्तीसगढ़ ।
5. केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन, रायपुर, छत्तीसगढ़ की ओर ।
6. नोटिस बोर्ड, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, रायपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़

खण्ड–चार, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर, छत्तीसगढ – 492002
फोनः 0771 – 2412844, 2412849, फैक्सः 0771 – 2412841 Email: dgm.cg@nic.in

विज्ञापन

विज्ञप्ति क्रमांक – 01/स्थापना 1/डीजीएम/2010, रायपुर, दिनांक :..........................

(रिक्त पदों की पूर्ति बाबत्)

इस कार्यालय के विज्ञप्ति क्रमांक 10234–1/स्था.1/डीजीएम/2010 दिनांक 30.10.2015 द्वारा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र दिनांक 25.08.2015 एवं खनिज साधन विभाग के पत्र क्र. 3131/2299/2015/XII नया रायपुर दिनांक 15.09.2015 के परिप्रेक्ष्य में निःशक्तजनों के सीधी भरती हेतु पदों की रिक्तियों के लिये बैकलॉग पूर्ति राज्य के स्थानीय निवासियों से निर्धारित प्रारूप में **सर्वेयर (जि.का.) 1 पद वेतन बेंड 5200–20200 ग्रेड वेतन 2200** हेतु आवेदन पत्र दिनांक 25.11.2015 तक आमंत्रित किये गये थे। उक्त पद के लिए मात्र 6 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, परन्तु कोई भी अभ्यर्थियों द्वारा अर्हता पूर्ण नही करने के कारण पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। पात्रता रखने वाले इच्छुक उम्मीद्वार अपना आवेदन–पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण–पत्रों की सत्यप्रतिलिपि के साथ **संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, खण्ड–चार, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.) 492002** में स्वयं उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेज सकते है, आवेदन–पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 18.03.2016 को सायं 5 बजे तक होगी। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र0	पदनाम	पदसंख्या	निःशक्तता का प्रकार	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	सर्वेयर (जिला कार्यालय) वेतनमान 5200–20200+2200	1	OA- (One Arm)	खनिकर्म/सिविल इंजिनियरिंग में पत्रोपाधि अथवा आई.टी.आई. से सर्वेयर ट्रेड उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र के साथ दो वर्ष का सर्वेक्षण का अनुभव

नियम एवं शर्ते :–

(1) उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किये जाने वाले चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

(2) निर्धारित आयु सीमा :–

अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2016 को 18 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो परंतु छ.ग. के स्थानीय / मूल निवासी अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा 30 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी। उच्चतर आयु सीमा में छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होंगीः–

(I) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पॉच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(II) छ.ग. शासन के स्थायी / अस्थायी / वर्कचार्ज या कान्टीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ.ग. राज्य के निगमों / मंडलो आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(III) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व मे की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप उच्चतम आयु–सीमा 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – ''छटनी किये गये शासकीय सेवक'' से तात्पर्य है, जो इस राज्य (अर्थात छ.ग. राज्य) या किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में लगातार कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हों।

(IV) ऐसे अभ्यर्थी, को जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप, जो आयु निकले वह अधिकतम आयु से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से घोतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गयी थी या जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था ।

(1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित कर दिया गया हो, और जिन्हें –

(क) अल्पकालीन वचनबद्ध अवधि पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्त पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक,

(4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है ।

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें लगातार अवकाश पर रहने के कारण छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किये गये हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नही बन सकेंगे।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग किया गया हो।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा से विधिक रुप से अलग किया गया हो ।

(V) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु–सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(VI) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10.02.2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पंचायत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पंचायतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी, तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

(VII) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालंट्री होमगार्ड) तथा अनायुक्त अधिकारियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुये दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।

(VIII) विधवा, परित्यक्तता तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(IX) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र0 सी–3/10/85/3/1 दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(X) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(XI) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3, रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(XII) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक है, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(XIII) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी है उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(XIV) छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3, रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

महत्वपूर्ण टीपः–

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3, रायपुर दिनांक 15.06.2010 में दिए गए निर्देश के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है, किन्तु परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2015/3/एक रायपुर दिनांक 17.12.2015 में दिए गए निर्देश के अनुसार **छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु एक बार के लिए 35 वर्ष के स्थान पर 40 वर्ष होगी।** परन्तु अन्य विशेष वर्ग जैसे– छ.ग. के निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), महिला आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वे छूट यथावत लागू रहेगी, तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली **सभी प्रकार की छूटों को सम्मिलित करने के बाद शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**

(3) आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(4) रोजगार कार्यालय में आवेदक का जीवित पंजीयन विज्ञापन जारी होने के पूर्व होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जावेगा। संविदा पर कार्यरत् कर्मचारी को भी यह शर्त लागू होगी।

(5) कोई भी उम्मीद्वार जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा के पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(6) कोई भी उम्मीद्वार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है, उनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) आवेदन पत्र पर न्यूनतम पासपोर्ट साईज का फोटो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कर लगाना होगा।

(8) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(9) उम्मीदवारों को अपनी आयु के संबंध में अंक सूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है ।

(10) अन्य शासकीय, अर्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थानों के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।

(11) अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जावेंगे ।

(12) वांछित न्यूनतम अर्हता में प्राप्त अंक के आधार पर 1 पद के विरूद्ध अधिकतम 12 अभ्यर्थियों की मेरीट सूची तैयार की जावेगी।

(13) शैक्षणिक योग्यता के मेरिट में प्राप्त अंकों के आधार पर चयन किया जावेगा।

(14) चयन प्रक्रिया का निर्धारण चयन समिति द्वारा किया जावेगा।

(15) विज्ञापित पद हेतु अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, नियम, सेवा शर्ते एवं आवेदन पत्र का प्रारूप संचालनालय रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर के नोटिस बोर्ड तथा संचालनालय की वेबसाईट www.chhattisgarhmines.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

(16) चयनित उम्मीदवारों को संचालनालय रायपुर, संचालनालय के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर तथा राज्य के किसी भी जिला कार्यालय (खनिज शाखा) में पदस्थ/स्थानांतरित किया जा सकेगा। प्रथम पदस्थापना स्थल पर निरंतर पांच वर्ष सेवाये अनिवार्य रूप से करनी होगी।

(17) विज्ञापित पदों की संख्या कम या अधिक करने का अंतिम निर्णय नियोक्ता को होगा।

(18) भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

संचालक
भौमिकी तथा खनिकर्म
छत्तीसगढ़

आवेदन पत्र का प्रारुप

राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज का फोटो चस्पा करें।

प्रति,

संचालक
संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,
इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर, छत्तीसगढ़

आवेदित पद का नाम :– : ....

1. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) : ....

(अॅंग्रेजी के केपिटल अक्षर में) : ....

2. पिता/पति का नाम : ....

3. पत्र व्यवहार का पता : ....

: ....

: ....

4. स्थायी पता : ....

: ....

: ....

5. दूरभाष/मोबाईल क्रमांक : ....

6. जन्मतिथि (अंकसूची अनुसार) : .... वर्ष .... माह .... दिन

7. आयु (दिनांक 01.01.2015 की स्थिति में) : .... वर्ष .... माह .... दिन

8. क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं ? : हॉ / नहीं

(उत्तर हॉ होने पर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैं।)

9. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक .... दिनांक ....

10. क्या आप विवाहित है ? : ....

यदि हॉ तो विवाह की तिथि : ....

11. जीवित बच्चों की संख्या : ....

12. जाति का विवरण : जहॉ लागू हो कृपया (✓) चिन्ह लगायें।

अनुसूचित जनजाति	सामान्य	अनुसूचित जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग

13. निःशक्तता का प्रकार :...

14. शैक्षणिक योग्यता :–

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	परीक्षा उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक / कुल अंक	प्राप्त अंकों का प्रतिशत	श्रेणी

15. कार्यानुभव का विवरण :–

क्र0	पद	संस्थान	अवधि	अनुभव का विवरण

16. संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची विवरण सहित :–

1. .... 2. ....

3. .... 4. ....

5. .... 6. ....

7. .... 8. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

–:: घोषणा पत्र ::–

मैं एतद् द्वारा घोषित करता / करती हूँ कि मैने विज्ञापित पात्रता शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है। जहॉ तक मेरी जानकारी के अनुसार मुझे विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्ठियां सत्य, पूरी और सही है। मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पाई जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा और परीक्षा में उत्तीर्ण एवं चयन के उपरान्त भी मेरा चयन या मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी, जिसके विरूद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे नहीं होगा।

मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जायेंगे ।

स्थान : ....

दिनांकः ....

आवेदक के हस्ताक्षर